दिनांक : 03 अक्तूबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून में नियत घंटों के अनुसार पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की व्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद बैंक से संबोधित), प्लॉट संख्या 16 और 17,आईटी पार्क, देहरादून, उत्तराखंड में स्थित औषधालय के लिए नियत घंटों के साथ संविदा आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के एक पद **(अनारक्षित)** को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केवल अनुबंध प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं जो अनुपंड - III में दिया गया है। एक सील कवर में आवेदन, पेशेवर/शैक्षणिक/अन्य योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि के प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी के साथ, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, प्लॉट नंबर 16 - 17, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड - 248013 पर **03 नवम्बर 2025 को 1730 घंटे बजे तक या उस से पहले** पहुंचना चाहिए। सील कवर पर **'निश्चित प्रति घंटे के पारिश्रमिक के साथ अनुबंध के आधार पर' बैंक के मेडिकल कंसल्टेंट (BMC) के पद के लिए आवेदन**' लिखा होना चाहिए।

3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को पूरी तरह से पढ़ें और आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट हों। आरक्षण की खोज कर रहे उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसे आरक्षण के पात्र हैं और उन्हें आवेदन भेजते समय अपने दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने चाहिए।

4. **सुधारः** कृपया ध्यान दें कि ऊपर दिए गए विज्ञापन पर कोई भी सुधार, यदि किसी प्रकार का हो, केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा - https://rbi.org.in/web/rbi/careers/vacancies

5. निर्धारित प्रारूप में नहीं होने वाले या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं आने वाले आवेदन तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

6. स्थान और कार्य घंटे (अनुमानित) इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या	औषधालय स्थान$	कार्यदिवस	अनुमानित कार्य घंटे$
1.	कार्यालय परिसर औषधालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लॉट संख्या 16 - 17, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून - 248013	सोमवार से शुक्रवार	02:30 बजे से 04:30 बजे
$ - बैंक की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन के अधीन			

7. **योग्यता मानदंड:**

I. आवेदक के पास एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए।

II. सामान्य औषधि में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

III. आवेदक के पास कम से कम 2 वर्ष का किसी अस्पताल या क्लिनिक में अभ्यास करने का अनुभव होना चाहिए।

IV. आवेदक की अपनी डिस्पेंसरी या आवास स्थल वर्तमान स्थान पर बैंक की डिस्पेन्सरी से अधिकतम 30 किमी. की दूरी पर होना चाहिए।

8. **वेतन, कार्य घंटे और अन्य नियम एवं शर्तें:**

I. अनुबंध की अवधि के दौरान, ₹1,000/- प्रति घंटे का वेतन दिया जाएगा। मासिक वेतन में से ₹1,000/- प्रति माह को परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, मोबाइल चार्जों का पुनर्भुगतान ₹1,000/- प्रति माह की दर से दिया जाएगा। अनुबंध आधारित बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएँ/पर्क नहीं दिए जाएंगे।

II. यह नियुक्ति पूरी तरह से अनुबंध आधारित है। इस नियुक्ति के लिए कोई सुपरऐनुएशन लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी। कोई अवकाश, प्रीक्स/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर डिस्पेंसरी में जाने की आवश्यकता है, तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा।

III. **बैंक के चिकित्सा सलाहकार के रूप में नियुक्ति का अनुबंध तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा। अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर फिर से नवीनीकरण नहीं होगा।** हालांकि, पात्र उम्मीदवार उक्त पद के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।

IV. बैंक के चिकित्सा सलाहकार का वेतन संविदा के आधार पर अनुबंध की अवधि के दौरान वास्तविक कार्य घंटों के संदर्भ में निश्चित किया जाएगा और यह सभी समावेशी होगा।

V. बैंक समय-समय पर वेतन की दर की समीक्षा करने, कार्य घंटों को बदलने और चिकित्सा सलाहकार से जुड़े डिस्पेंसरियों को अपने विवेक पर बदलने का अधिकार रखता है, यदि यह प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त हो जाता है। तदनुसार, चिकित्सा

सलाहकार को समय-समय पर बैंक के डिस्पेंसरियों में जाने की आवश्यकता हो सकती है। कुल घंटों की संख्या आवश्यकता के अनुसार एक सप्ताह में 30 घंटे (अधिकतम) तक बढ़ाई जा सकती है।

VI. बीएमसी के लिए चयनित डॉक्टर को एक "स्व-घोषणा" प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जिसमें यह बताया जाए कि उनके कोई भी वर्तमान नियोक्ता (यों) को बैंक के साथ उनकी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है।

VII. चिकित्सक जिसे बीएमसी के रूप में चुना जाएगा, उसे ऐसे अस्पताल / संगठन से 'कोई आपत्ति प्रमाण पत्र (NOC)' पेश करने की आवश्यकता होगी (यदि कोई है), यदि वह सप्ताह में 30 घंटे से अधिक समय तक ऐसे अस्पताल / संगठन द्वारा नियोजित होते हैं।

9. **चुनाव की विधियाँ:**

I. बैंक चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज़ जांच करेगा। बैंक को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानकों को बढ़ाने का अधिकार है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। पात्रता मानकों को पूरा करना उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं देता है। जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है, उनके अलावा, बैंक उन आवेदकों के साथ किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा जो योग्य नहीं पाए गए हैं/ जिन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं माना गया है।

II. दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा, इससे पहले कि उन्हें बैंक चिकित्सा सलाहकार (BMC) के रूप में अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के लिए योग्य माना जाए। इन चिकित्सा परीक्षणों की लागत आवेदकों को स्वयं उठानी होगी।

III. पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने और अनुलग्नक -I के अनुसार नियमों और शर्तों की स्वीकृति और अनुलग्नक -II के अनुसार आचार संहिता के अधीन नियुक्त किया जाएगा।

IV. चयनित आवेदक को नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में कार्य करने से पहले बैंक के साथ संविदा करार पर हस्ताक्षर करना होगा।

अनुलग्नक- I

नियत घंटे के पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की सेवाएं लेना - संविदा के नियम और शर्तें

1. आप भारतीय रिज़र्व बैंक के औषधालय जोकि आईटी पार्क, प्लाट संख्या 16-17, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून – 248013 में स्थित है, में निर्धारित ड्यूटी घंटों के लिए (अथवा यदि आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) इस शर्त के अधीन उपस्थित होंगे, कि बैंक छुट्टियों को छोड़कर तथा अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों के अतिरिक्त औषधालय लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा।

2. आप दौरे पर आने वाले बैंक के कर्मचारियों सहित स्टाफ सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो डिस्पेंसरी के समय के दौरान (समय और/या अवधि को बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बदला जा सकता है) आते हैं, को निःशुल्क सलाह देंगे, दवाएं लिखेंगे और निःशुल्क इंजेक्शन देंगे। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में जरूरी मामलों में अपने निजी क्लीनिक पर किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित दर पर परामर्श शुल्क पर परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

3. आप कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैराग्राफ (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में क्रेडिट करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली करने में सुविधा प्रदान करेंगे।

4. आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी का निष्पादन करेंगे, भले ही आप भविष्य में कोई भी पोस्ट-ग्रेजुएट अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें । यह सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा कि भविष्य में आप जो योग्यता रखते हैं या प्राप्त करते हैं, वह आपको सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है और यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, आपके पास जो योग्यता है या जैसा मामला ऊपर बताए अनुसार बैंक की आवश्यकताओं के साथ साथ टकराव में आती है, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस कारण **कोई देयता या जिम्मेदारी** किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आती है और उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति करेंगे और हर समय बैंक की क्षतिपूर्ति रखेंगे।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक डिस्पेंसरी में आपकी ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगी: -

(i) छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क कर सकते है।

(ii) डिस्पेंसरी में लाये गये आपात मामलों अथवा विभागों में अथवा बैंक परिसर में अथवा बैंक परिसर से बाहर मामलों का इलाज करना तथा उपयुक्त अस्पतालों को मामले संदर्भित करना चाहे आपके सामान्य कार्य समय के बाद ऐसी आवश्यकता होने पर बुलाया गया हो।

(iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने का दायित्व और किसी गलत रिएक्शन का दायित्व आप पर रहेगा। सामान्यत: आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने से बचा जाए। आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्टों को रुटीन व सरल इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्शन लगा सकें।

(iv) महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाएगी। यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता संतुष्ट हो जाए कि फार्मासिस्ट अपेक्षित कार्य करने में सक्षम हैं तो रुटीन मरहम-पट्टी उनके द्वारा की जा सकती है।

(v) यदि आप स्थान पर उपलब्ध हों, तो आपको हृदय संबंधी या अन्य बड़ी आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में रोगी के साथ अस्पताल जाना होगा।

6. आपको बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर आप क्वार्टर में रहने वाले बैंक स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

7. यदि आप मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हैं, तो आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करेंगे और अन्य योग्य चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

8. आप कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके आवास पर उनके द्वारा आवश्यक होने पर उपस्थित होंगे और स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क, इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, जिसमें इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

9. यदि और जब ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो आप बैंक के किसी भी कार्यालय में किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी की नियुक्ति के लिए चुने जाने वाले किसी भी संभावित कर्मचारी के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के रूप में समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित करेंगे।

10. आप बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं पर आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे।

11. यदि बैंक के कर्मचारियों या उनके आश्रितों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, तो आपको अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता करनी होगी।

12. आप कार्यालय/ कर्मचारी परिसर का महीने में एक बार या बैंक द्वारा तय की गई ऐसी किसी भी अवधि का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें स्वच्छता और स्वच्छ स्थिति में रखा गया है।

13. जब भी आवश्यक हो, आप टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाएंगे और चेचक के लिए टीकाकरण करेंगे।

14. आप कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 31 मार्च तक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

15. आप आवश्यक अभिलेखों के उचित भंडारण या रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।

16. आप दवा मांगपत्र पर सलाह देंगे, और दवा स्टॉक-संतुलन और खपत की प्रति-जांच करेंगे।

17. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी पेशेवर राय देंगे।
18. आप बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य में शामिल होंगे, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है, जैसा कि आमतौर पर एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाता है / करने की आवश्यकता होती है।

19. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए **₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि** के लिए पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी अधिवर्षिता लाभ नहीं जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी या अन्य प्रतिलाभ/सुविधा के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन डिस्पेंसरी में उपस्थित होना आवश्यक हो तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, मोबाइल चार्ज का पुनर्भरण ₹1,000/- प्रति माह की दर से दिया जाएगा।आय पर करों की मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर कटौती की जाएगी।

20. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक से ड्यूटी के घंटे और डिस्पेंसरी के स्थान को बदल सकता है।

21. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी।

22. आप **अनुलग्नक - II** में दिए गए बैंक के चिकित्सा सलाहकार की आचार संहिता का पालन करेंगे।

23. आप क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

24. संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं होगा।

25. अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन महीने के नोटिस या उसके एवज में प्रति माह के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

26. संविदा के अंतर्गत की गयी नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी, बशर्ते कि उपर्युक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार किया जाए और **अनुलग्नक- II** में दी गई बैंक की आचार संहिता का पालन किया जाए। अनुबंध की हर वर्ष समीक्षा की जाएगी।

27. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद देहरादून के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

अनुलग्नक-II

नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता

1. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी व्यक्ति के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा।

2. आपको बैंक की सूचना सुरक्षा नीति (Information Security Policy) का पालन करना होगा।

3. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए।

4. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा।

5. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में भाग नहीं लेगा।

6. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबंध रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो।

7. बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक चिकित्सा सलाहकार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा।

8. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा।

9. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

10. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है।

11. चिकित्सा परामर्शदाता को:

क. जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा;

ख. ड्यूटी के दौरान वह मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए;

ग. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए;

घ. नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए;

ङ. अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

स्पष्टीकरण:- 'सार्वजनिक स्थान' में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है।

12. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण:- इसके लिए 'यौन उत्पीड़न' में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होगा जिसमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ के रूप में ये आशय हों:

क. शारीरिक संपर्क एवं इस संबंध में आगे बढ़ना,

ख. यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध,

ग. यौन संबंधी टिप्पणियां,

घ. अश्लील साहित्य दिखाना,

ङ. यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, क़ानून/कानूनों में लागू ऐसी सभी परिभाषा/व्याख्या।

13. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है।

14. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के लिए न तो कोई उपहार, उपादान, कमीशन या इसके लिए कोई बोनस या प्रतिफल न तो देगा, न ही इसकी याचना करेगा, न ही स्वीकार करेगा एवं न ही देने, याचना करने या स्वीकार करने की पेशकश करेगा । कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: किसी शुल्क के लिए न तो भाग, अंतरण समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी की के लिए कोई पक्ष नहीं बनेगा।

15. क्रम संख्या 14 में किया गया प्रावधान उसके द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति पर डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा।

16. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता उसके द्वारा स्वीकृत संविदा की उक्त शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य

करता है या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या अन्य किसी तरह का कदाचार करता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है।

****

<u>अनुलग्नक – III</u>

स्वप्रमाणित नवीन पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं

<u>आवेदन पत्र</u>

<u>भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर में निर्धारित घंटों पर पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की सेवाएँ लेने के लिए आवेदन</u>

<table>
<tr><td>1.</td><td>पूरा नाम: श्री/श्रीमती/कुमारी</td><td colspan="9">______________________________
(बड़े अक्षरों में लिखें, उपनाम पहले लिखा जाए)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पिता/पति का नाम:</td><td colspan="9">______________________________</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पता:</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td></td><td>(a) आवास</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td></td><td>(b) स्थायी निवास पता:</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td></td><td>(c) डिस्पेन्सरी/अस्पताल, जहां वर्तमान में कार्यरत हैं</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td></td><td>(d) फोन नं.</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td></td><td>(e) मोबाइल नं.</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td></td><td>(f) ई-मेल आई डी.</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10">(g) निम्नलिखित स्थान पर बैंक की डिस्पेन्सरी से अनुमानित दूरी:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">पता</td><td colspan="4">आवास से दूरी (कि.मी. में)</td><td colspan="4">डिस्पेन्सरी/अस्पताल जहां वर्तमान में कार्यरत हों, से दूरी (कि.मी. में)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">भारतीय रिज़र्व बैंक, प्लाट संख्या 16-17, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून – 248013</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td colspan="2" rowspan="2">जन्म तिथि:</td><td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">जन्म स्थान और अधिवास:</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

6.	**राष्ट्रीयता:**	
7.	क्या अ.जा/अ.जजा/अपिव/ अनारक्षित (सामान्य) से संबंध रखते हैं ?	अ.जा | अ.जजा. | अपिव. | सा.

8.	**शैक्षणिक योग्यता:** **(उच्च से निम्न क्रम में प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा इंगित करें)**

	डिग्री/डिप्लोमा	विश्वविद्यालय/बोर्ड	पास करने का वर्ष	श्रेणी/रैंक

9.	**आवेदक द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम का विवरण:**	
10.	**अनुभव का विवरण– (स्नातक के बाद का ही अनुभव दिया जाए):**	

	अनुभव:	कहाँ से	तक	अवधि	
				वर्ष	माह
	अस्पताल/क्लिनिक (फिजिशियन के रूप में)				
	सामान्य औषधि का अभ्यास करने वाले के रूप में				

11.	**कोई अन्य कारक जो आवेदक अपने आवेदन पर विचार करने हेतु दिखाना चाहता हो:**	

मै एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि एस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। में समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी या गलत है या यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी या विवरण छुपाया गया है या हटा दिया गया है या मै बैंक के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता/करती हूँ, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति को बिना किसी सूचना या उसके बदले मुआवजे के रद्द/समाप्त किया जा सकता है

दिनांक:
स्थान: (आवेदक के हस्ताक्षर)

अनुदेश:

1. आवेदन पत्र में सभी विवरण आवेदक द्वारा पूरी तरह से भरे जाने हैं, क्योंकि अधूरे फार्म अस्वीकार किए जा सकते
2. आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति, अनुभव के संबंध में प्रासंगिक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
3. आवेदक द्वारा प्राप्त अनुभव के समर्थन में प्रस्तुत प्रमाण पत्र में ड्यूटी के घंटे और ड्यूटी की प्रकृति का विवरण होना चाहिए।

****